राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 मई, 1985

क्रमांक 582-ज-(II)-85/16441.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्री श्री फते सिंह, पुत्र श्री नेकी राम, गांव सिकन्दरपुर, तहसील झज्जर, जिला रोहतक, को खरीफ, 1976 से खरीफ, 1979 तक 150 रुपये वार्षिक तथा खरी, 1980 से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

दिनांक 28 मई, 1985

क्रमांक 680-ज-(2)-85/16648.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, श्रीमती चन्द्र बाई, विधवा श्री जोहरी सिंह, गांव बोदकलां, तहसील दादरी, जिला भिवानी, को खरीफ, 1980 से से 300 रुपये वार्षिक कीमत की युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 243-ज-(II)-85/16653.—हरियाणा सरकार राजस्व विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1641-ज-(II)-84/1269, दिनांक 11 जनवरी, 1985 जो हरियाणा सरकार के राजपत्र में प्रकाशित की गई है, की तीसरी लाईन में श्री नन्द राम, पुत्र श्री दादे राम को बजाये "श्री नन्द राम, पुत्र श्री दोद राम" पढ़ा जाये।

ओ० पी० सांगड़ा,

अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग।

LABOUR DEPARTMENT

The 28th May, 1985

No. 11(86)-79-4Lab.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that public interest requires that the Chemical Fertilizer Industry in the State of Haryana being an industry specified in the First Schedule to the Industrial Disputes Act, 1947 (Central Act XIV of 1947) be declared as public utility service for the purpose of the said Act.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana, hereby declares "Chemical Fertilizer Industry" in the State of Haryana to be a public utility service for the purposes of the said Act, for a period of six months from the date of publication of this notification in the official Gazette.

No. 11 (150)-80-4-Lab.—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that public interest requires that manufacture, marketing and distribution of petroleum products be declared as public utility service:

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (n) of section 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana declares the manufacture, marketing and distribution of petroleum products in the state of Haryana to be public utility service for the purpose of the said Act for a further period of six months from the date of publication of this notification in the Official Gazettee.

KULWANT SINGH,

Financial Commissioner & Secretary to Government Haryana,
Labour & Employment Department.